App-A
Crm-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत _____ मुकाम _____

अम्बालाल बनाम सरवार

किस्म मुकदमा _____ नं. 17 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
18/11/2025	उपस्थित पक्षकार प्रा० पा० पेश। प्रा० पा० पेश। बहस तर्कना पत्र सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा खारोला की भूमिया तहसील आमन के खाता संख्या 46 में दर्ज आराजियात में तर्कीगण का नाम लादू लाल पुत्र नारायण गुर्जर व काली पुत्री नारायण गुर्जर दर्ज है। तर्कीगण अपनी नाम शुद्ध करने हेतु तर्कना पत्र प्रस्तुत किया। तर्की संख्या अपना नाम लादू लाल के बजाय अम्बालाल व तर्की संख्या 2 मंजु देवी के बजाय काली के बजाय मंजु देवी दर्ज कराना चाहती है। अतर्की देवीलाल सरवार ने अपने पक्ष में तर्कना पत्र के तादि में कोई ठोस प्रतिवेदी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया निर्णय लेख पर मनन किया। तर्कना पत्र अन्तर्गत धारा 136 (2) Act. संशोधन की त्रुटि व सेटलमेन्ट के दौरान हुई त्रुटि से नाम शुद्ध किये जाने हेतु प्रकाशित होता है उक्त तर्कना पत्र में तर्कीगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त तर्कना पत्र इस धारा के अधिकार में नहीं आता है। अतः तर्कना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बैकल अमल केस नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़